अपर्णा यू0
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 1732 / मु0अ0(वाणिज्य) / सी0यू0–दो / ओ0टी0एस0(2) / 2018–19 दिनांकः दिसम्बर, 31 ,2018

विषय– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये ''सरचार्ज समाधान योजना'' लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल / स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल / पूर्वान्चल / पश्चिमॉचल / दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

समस्त विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये **''सरचार्ज समाधान योजना''** लागू की गयी है।

उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण एवं ऑनलाइन प्रारूपों (फोर्मेट–1,2,3 एवं 4) की प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,
Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः 1732/ मु0अ0(वाणिज्य)सीयू–दो / ओ0टी0एस0(2) / 2018–19 तद् दिनांकः– 31.12.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त / वाणिज्य / वितरण / कॉ0प्ला0 / का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (आ0ए0यू0), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वणिज्य–1 / वाणिज्य–2), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ को योजनानुसार सुद्धढ एवं सुचारू आई0टी0 व्यवस्था के साथ दैनिक फॉर्मेट पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
7. इन्चार्ज एम0बी0सी0 सेल, शक्ति भवन, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ दैनिक सूचना हेतु।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव (ऊर्जा), बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

"सरचार्ज समाधान योजना का पूर्ण विवरण"

विषय– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये सरचार्ज समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 31.12.2018 तक के विद्युत बिलों में विलम्बित भुगतान सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह योजना दिनांक 01.01.2019 से प्रारम्भ हो रही है।

(1) समाधान योजना की अवधि :–

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू अर्थात् एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), कॉमर्शियल अर्थात् एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवम् निजी नलकूपो अर्थात् एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक प्रवृत्त रहेगी।

(2) योजना का ऑनलाइन संचालन :–

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणीयों के उपभोक्ताओं को योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन प्रणाली पर उपभोक्ता के पंजीकरण एवं भुगतान की व्यवस्था है। उपभोक्ता को यह सुविधा सभी खण्ड/उपखण्ड कार्यालय एवं CSC जनसुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उपभोक्ता को केवल अपना खाता सं0 बताना होगा जिसको ऑनलाइन प्रणाली के भुगतान पोर्टल पर डालते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथाः– बिल धनराशि, सरचार्ज, भुगतान की स्थिति इत्यादि स्क्रीन पर परिलक्षित होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह दिसम्बर–2018 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि (विलम्बित भुगतान सरचार्ज राशि को छोड़कर) की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करना होगा जिसके जमा होने पर ही पंजीकरण पूर्ण माना जायेगा। जोकि तुरन्त ऑनलाइन पर अपडेट हो जायेगा एवं भुगतान करते ही भुगतान की गई धनराशि एवं पंजीकरण की एक मुश्त ऑनलाइन रसीद उपभोक्ता को तत्काल प्राप्त हो जायेगी। **किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।**

(3) पंजीकरण कराये जाने की अवधि :–

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2019 तक प्रवृत्त रहेगी।

(4) पंजीकरण कार्यालय :–

योजना का पंजीकरण एस0डी0ओ0 कार्यालय/सी0एस0सी0/उपकेन्द्र के कैश कलेक्शन काउन्टर में होगा। उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता प्राप्त आवेदनों को एक ऑनलाइन रजिस्टर में निर्धारित **फोर्मेट–1** (संलग्न) के अनुसार रखेंगे तथा फोर्मेट–1 की हार्ड कॉपी भी अपने कार्यालय में रखेंगे।

(5) बिल निर्गमन :–

(क) पंजीकरण करने के पश्चात यदि आवश्यक होगा तो उपभोक्ता के बिल में सुधार कर उपभोक्ता को पंजीकरण की तिथि से 15 दिन के अंदर एस0एम0एस0 के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित की जायेगी। उपभोक्ता स्वयं भी पंजीकरण स्थल से अपने संशोधित बीजक उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त कर सकता है।

(ख) योजना में स्थायी रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) ऐसे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध सेक्शन 3 व 5 का नोटिस निर्गत हो चुका है, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) योजना में पंजीकृत ऐसे उपभोक्ता, जो संशोधित बिल का भुगतान अपनी सुविधानुसार योजना की अंतिम तिथि 31.03.2019 तक नहीं करते हैं, उनके पंजीकरण निरस्त माने जाएंगे तथा उनके द्वारा जमा राशि में से रूपये 2000 अथवा वास्तविक जमा राशि, जो भी न्यूनतम हो, जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाये में समायोजित करते हुये उसके बिल में पुनः ब्याज का निर्धारण कर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त पंजीकरण के संबंध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(च) इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगें। वितरण निगम द्वारा निर्गत संशोधित बीजक की देय धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित बीजक में अंकित ब्याज की राशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।

(छ) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण की अन्तिम तिथि के पश्चात सभी मामले निस्तारित माने जायेंगे एवं आवश्यकतानुसार विधिक प्राविधानों के अनुसार वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

(6) अपंजीकृत बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही :–

पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर पंजीकृत बकायेदारों के अतिरिक्त अन्य सभी बकायेदारो से वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन व भू–राजस्व की भॉति प्रभावी वसूली हेतु नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीकरण अवधि में अपंजीकृत बकायेदारों से वसूली हेतु विच्छेदन की कार्यवाही प्रभावी रहेगी ।

(7) अनुमन्य छूट देने की प्रकिया :–

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0–2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार तक) दर श्रेणी विधा में माह दिसम्बर–2018 तक के विद्युत बीजकों में विलम्बित भुगतान सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि संशोधित बिल की देय धनराशि का पूर्ण भुगतान 31.03.2019 तक किया जाता है।

(8) बिल संशोधन की प्रकिया :–

(अ) कुछ उपभोक्ताओं को विच्छेदन तिथि, देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल संशोधन की सुविधा की व्यवस्था उपभोक्ता सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) पर भी उपलब्ध है अतः उपभोक्ताओं को सी0एस0सी0 पर बिल संशोधन करवाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये जिससे उनके बिलों का संशोधन तत्परता से हो सके। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखण्ड अधिकारी से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।

(ब) बिलों को संशोधित करने का रिकार्ड ऑनलाइन तथा हार्ड कॉपी में निर्धारित **फोर्मेट–2** में अधिशासी अभियन्ता द्वारा रखा जायेगा।

(9) योजना के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान सरचार्ज में प्रदान की गयी छूट का दैनिक विवरण सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन निर्धारित **फोर्मेट–3** (संलग्न) तथा अन्तिम विस्तृत विवरण ऑनलाइन निर्धारित **फोर्मेट–4** (संलग्न) पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक यथोपरि :–

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)

प्रबन्ध निदेशक

FORMAT-1

Name of Discom----------------------

"Surcharge Samadhan Yojana"

Detail of Consumers Registered

(Bill Revision Monitoring)

(Sub-Division / Division Office Online Register)

S.No.	Name of Consumer	Connection No.	Category	Detail of Registration			Arrear Amount Before Revision (Rs.)			Arrear Amount After Revision (Rs.)			Issued Date of Revised Bill to Consumer
				Fee (Rs.)	Receipt. No.	Receipt Date	Principal	Surchage	Total	Principal	Surchage	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

*Registered Consumers' Arrear unpaid / Defaulter list available in SDO / Division Office

FORMAT-2

Name of Discom----------------------

"Surcharge Samadhan Yojana"

Detail to be kept in Executive Engineer (Distribution) office
(SDO/Div wise online Register)

Date:---------------------

S.No.	Name of Consumer	Connection No.	Category LMV-1, LMV-2 and LMV-5	Detail of Registration			Arrear Amount Before Revision (Rs.)			Arrear Amount After Revision (Rs.)			Amount Waived off (Rs.)			Payment Detail			Detail of Feeding in Computer	
				Fee (Rs.)	Receipt. No.	Receipt Date	Principal	Surchage	Total	Principal	Surchage	Total	Principal	Surchage	Total	Date	Receipt. No.	Amount (Rs.)	Date	Name of Official
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

FORMAT-3

Office of the Managing Director...Vidhyut Vitran Nigam Limited

Details of Surcharge Samadhan Yojana
(Daily Summary Report Online)

Upto Dated --------------------

Date From................. To..............

(Rs. In Lac)

S.No	Name of Zone/Circle/ Division	No. of Registered Consumers		Registration Amount		Arrears Before Revision		Arrears After Revision		Waived Off Surcharge Amount		No. of Consumers Benefitted from Rebate/Scheme		Rebate Amount Received by Consumers		Deposited Amount by Consumers	
		Today	Till Today	Today	Till Today	Today	Till Today	Today	Till Today	Today	Till Today	Today	Till Today	Today	Till Today	Today	Till Today
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

FORMAT-4

Office of the Managing Director.......................................Vidhyut Vitran Nigam Limited

Details in Surcharge Samadham Yojana
(FINAL)

Yojana Period : 01-01-2019 To 31-03-2019 **(Rs. In Lac)**

S.No	Name of Zone	No. of Registered Consumers	Registration Amount	Arrears Before Revision	Arrears After Revision	Waived Off Surchage Amount	No. of Consumers Benefitted from Rebate/Scheme	Rebate Amount Received by Consumers	Deposited Amount by Consumers
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10